भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 972
दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीवन-रक्षक दवाओं और चिकित्सा मशीनों की सुलभता

972. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री वाई. देवेन्द्रप्पा:
डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति (एनपीपीपी) के तहत जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा मशीनों की संवहनीयता बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति (एनपीपीपी), 2012 का उद्देश्य औषध के मूल्य निर्धारण के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना है ताकि उचित कीमतों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके साथ ही उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्धा हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान हो। एनपीपीपी, 2012 के अनुसार कीमतों के विनियमन के प्रमुख सिद्धांत हैं (i) दवाओं की अनिवार्यता, (ii) केवल फॉर्मूलेशन कीमतों पर नियंत्रण; और (iii) बाजार आधारित मूल्य निर्धारण।

सरकार ने एनपीपीपी, 2012 के प्रावधानों के आधार पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) को प्रख्यापित किया है। तदनुसार, औषध विभाग (डीओपी) के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं सूची (एनएलईएम) में सूचीबद्ध अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतें तय करता है और डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I के रूप में शामिल करता है। अनुसूचित दवाओं (ब्रांडेड या जेनेरिक) के सभी निर्माताओं को अपने उत्पादों को एनपीपीए द्वारा तय अधिकतम मूल्य (साथ ही लागू वस्तु और सेवा कर) के भीतर बेचना होगा।

एक विनिर्माता अपने द्वारा लॉन्च किए गए गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन (ब्रांडेड या जेनेरिक) की अधिकतम खुदरा कीमत तय करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुसार, गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के विनिर्माताओं को ऐसे फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रति वर्ष 10% से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति नहीं है।

मूल्य नियंत्रण के तहत विभिन्न दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I के तहत 882 अनुसूचित फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें, निर्धारित की गई जिसमें चार अनुसूचित चिकित्सा उपकरणों, अर्थात् हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, आईयूडी युक्त कॉपर, बेयर मेटल स्टेंट और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट की अधिकतम कीमतें शामिल हैं।

(ii) डीपीसीओ, 2013 के तहत 1,703 नई दवाओं का खुदरा मूल्य निर्धारित किया।

(iii) जनहित में डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत ऑर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमत निर्धारित की गई जो 69% तक मूल्य में कमी को प्रभावित करती है।

(iv) अवधारणा के प्रमाण के लिए पायलट के रूप में "व्यापार मार्जिन युक्तिकरण" दृष्टिकोण के तहत 42 कैंसर रोधी दवाओं के गैर-अनुसूचित सम्मिश्रणों
के व्यापार मार्जिन को सीमित कर दिया, जिसमें 500 से अधिक ब्रांडों की दवाओं की कीमत 90% तक कम कर दी गई थी।

(v) जून/जुलाई 2021 में "व्यापार मार्जिन युक्तिकरण" दृष्टिकोण के तहत ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइज़र, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर की कीमतों को विनियमित करने के लिए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 को लागू किया।

*****